उर्दू क्या है ?

श्रीनारायण चतुर्वेदी

उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन

Scanned with OKEN Scanner

प्रकाशकीय

उ० प्र० सरकार ने राजर्षि का जन्मशती वर्ष उनके कार्य और जीवन के उद्देश्य को प्रायः उलट कर मनाया है। इस कार्य से प्रदेश की जनता का उत्तेजित होना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन राजर्षि ने सन् १९३७ में पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी के माध्यम से स्थापित किया था। इसलिए सम्मेलन का कर्तव्य हो गया कि वह इस अशुभ कार्य का विरोध करे। सम्मेलन ने उसके विरोध में जनता को स्थिति से अवगत कराने के लिए सात पैम्फलेट प्रकाशित किये। इनमें एक हमारे उपाध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव सिंहजी ने और छः श्री चतुर्वेदीजी ने लिखे हैं। इस आठवें पैम्फलेट ने एक पुस्तिका का रूप ले लिया है। इसमें उर्दू की उत्पत्ति, उसके स्वरूप, उसकी स्थिति और उसे द्वितीय राज्यभाषा बनाने से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं की सामान्य विवेचना है। सम्मेलन ने अभी तक जो पैम्फलेट छापे हैं वे हज़ारों की संख्या में मुफ़्त वितरित किये गये हैं।

इस पुस्तिका का आशातीत स्वागत हुआ। बिना किसी प्रचार के तीन महीने में मुद्रण प्रायः समाप्त हो गया और माँग बराबर बनी हुई हैं। अतएव यह दूसरा मुद्रण किया जा रहा है। इस बीच हमें जो कागज मिला वह अधिक महँगा है। अतएव इसका मूल्य बढ़ाना पड़ा, यद्यपि अब भी वह लागत से कम है।

प्रथम संस्करण में हमने सरकार की द्विभाषी नीति पर सम्मेलन के विचार व्यक्त किये हैं और वह आज भी उन पर दृढ़ है। राजर्षि की जन्मशती पर हम कोई दिखाऊ समारोह न करके उनके कार्य को आगे बढ़ाकर तथा संघर्ष को जारी रखकर मना रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने जो उत्साह और क्रियाशीलता दिखलायी है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। वे हमारे संघर्ष के अग्रदूत हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं। आशा है कि हिन्दीप्रेमी बुद्धजीवी भी अपना सहयोग देंगे।

उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग
प्रतापगढ़

डॉ० राजेश्वर सहाय त्रिपाठी
ऐडवोकेट, प्रधान मंत्री

प्रकाशक :

डॉ० राजेश्वर सहाय त्रिपाठी

प्रधानमंत्री, उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन

प्रतापगढ़ (उ० प्र०)

© श्रीनारायण चतुर्वेदी

प्रथम संस्करण : मार्च, १९८२ : २,०००

पुनर्मुद्रण : जुलाई, १९८२ : २,०००

प्रचारार्थ

प्रतीक मूल्य दो रुपये

(डाक व्यय अलग)

मुद्रक—हिन्दुस्तानी आर्ट कॉटेज, लखनऊ–२२६००१

Scanned with OKEN Scanner

कुछ प्रश्न

उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने के समर्थकों से मैं बड़ी विनम्रता के साथ कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। उत्तर देते समय यह याद रखिए कि यदि उर्दू को द्वितीय राजभाषा बना दिया गया तो (१) सरकारी कामकाज फ़ारसी लिपि में इसी उर्दू में करना होगा जिसके कुछ सामान्य उदाहरण दिये जा चुके हैं। अधिकारी तथा कर्मचारी आवश्यकता पड़ने पर इसी भाषा और लिपि को पढ़ने और लिखने और बोलने को बाध्य होंगे, (२) सरकारी सेवा में द्वितीय राजभाषा उर्दू का उक्त स्तर का ज्ञान और कार्यकुशलता अनिवार्य कर दी जायगी, (३) राज्य की द्वितीय भाषा होने के कारण हाई स्कूलों और इंटर कालेजों में उक्त प्रकार की उर्दू का पढ़ना तथा फ़ारसी लिपि में उसका लिखना अनिवार्य कर दिया जायगा, (४) विधान मंडलों में जो सदस्य चाहेंगे वे उसीमें बोल सकेंगे। उनके भाषण फ़ारसी लिपि में आशुलिपि में लिखे जायेंगे तथा विधान मंडलों की कार्यवाही में इसी लिपि में छापे जायेंगे। प्रश्न भी उसी उर्दू में किये जा सकेंगे और मंत्रियों को उनके उत्तर भी इसी भाषा में देने होंगे (५) सरकार की सब विज्ञप्तियां, आदेश, रिपोर्टें, बजट, राज्यपाल का भाषण तथा अन्य सभी प्रकाशन इसी उर्दू भाषा और फ़ारसी लिपि में भी प्रकाशित करने होंगे।

मेरा पहला प्रश्न मंत्रियों और विधायकों से है :

क्या आप उपर्युक्त स्तर की उर्दू में दिये गये भाषणों को ठीक तरह से समझ सकेंगे ? यदि ठीक तरह से न समझ सके तो उनका उत्तर कैसे देंगे ? उर्दू प्रश्नों का उत्तर उर्दू में ही देना होगा। क्या आप यह उर्दू बोल सकेंगे ? यदि आप उर्दूभाषी विधायकों को अपनी बात समझाना चाहेंगे तो क्या आप उसे ऐसी उर्दू में कह सकेंगे जिसे वे बोलते या समझते हैं ? अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह आप ऐसा प्रबंध करेंगे कि आप जो कुछ हिन्दी में अनुवादित होकर उर्दूभाषी विधायकों को साथ ही और ऐसे आशु अनुवादक हैं